Phone : 0141-2791928
0141-2795529
Fax : 0141-2795550

Website : www.ruhsraj.org
Email : ruhsacademic@gmail.com

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033 (Raj.)

No.F.8 (154)/GST / Acad.-II/RUHS/2020/ 5162 Date 14/7/2020

आदेश

सत्र 2019–20 के सम्बद्धता शुल्क के साथ 18% की दर से GST राशि को पुनः रिफण्ड/समायोजित किये जाने के संबंध में

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के संशोधित आदेश क्र. 19761 दि. 28.12.2018 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता शुल्क की राशि के साथ 18% (9% CGST + 9% SGST) की दर से GST की राशि भी जमा कराने हेतु महाविद्यालयों को सूचित किया गया था। तत्पश्चात सक्षम स्तर से प्राप्त आदेशों की अनुपालना में विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्र. 20237 दि. 07.01.2019 के द्वारा उपरोक्त संदर्भित संशोधित आदेश को निरस्त किया जाकर समस्त संबंधित महाविद्यालयों को सूचित किया गया था कि विश्वविद्यालय के सम्बद्धता शुल्क (सत्र 2019–20) पर GST की राशि देय नहीं है। अतः सत्र 2019–20 का सम्बद्धता शुल्क बिना GST की राशि के ही जमा करवाया जाना था।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 22.06.2020 के टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 1 में शैक्षणिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता शुल्क की राशि के साथ महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करवाई गई उक्त अतिरिक्त राशि को संबंधित महाविद्यालय को रिफण्ड किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः प्रबन्ध मण्डल के उक्त निर्णय की अनुपालना में संबंधित महाविद्यालय को उक्त अतिरिक्त राशि के रिफण्ड की कार्यवाही की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त राशि को रिफण्ड किये जाने पर किसी प्रकार का प्रोसेसिंग चार्ज नहीं काटा जावेगा।

यदि किसी महाविद्यालय द्वारा इस राशि का रिफण्ड नहीं लेकर अतिरिक्त जमा राशि को आगामी वर्ष के सम्बद्धता शुल्क में समायोजित कराना हो तो ऐसे महाविद्यालय द्वारा आगामी 15 दिवस में पृथक से विश्वविद्यालय को आवेदन प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा संबंधित राशि के रिफण्ड की कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर पर सम्पादित कर दी जावेगी।

(कालू राम)
कुलसचिव

No.F.8 (154)/GST / Acad.-II/RUHS/2020/ 5163-71 Date 14/7/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
2. वित्त अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
3. समस्त प्रधानाचार्य, वि.वि. से सम्बद्ध महाविद्यालय ....
4. प्रभारी अधिकारी, शैक्षणिक अनुभाग–1 (फार्मेसी संकाय), राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
5. प्रभारी अधिकारी, शैक्षणिक अनुभाग–1 (मेडिकल व डेन्टल संकाय), राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
6. प्रभारी अधिकारी, शैक्षणिक अनुभाग–1 (नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथैरेपी संकाय), राज. स्वा.वि.वि., जयपुर
7. प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश की एक प्रति समस्त महाविद्यालयों की सूचनार्थ विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।
8. प्रभारी अधिकारी
9. रक्षित पत्रावली।

(गजेन्द्र सिंह जोधा)
सहायक कुलसचिव
(शैक्षणिक अनुभाग–II)

Phone : 0141-2791928
0141-2795529
Fax : 0141-2795550

Website : www.ruhsraj.org
Email : ruhsacademic@gmail.com

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033 (Raj.)

No. : F-8(92)/Affiliation Fee/Academic-II/2019/ 20237 Date : ..7../..1../2019

अधिसूचना

विषय : सत्र 2019–20 के सम्बद्धता शुल्क के साथ 18% की दर से GST राशि जमा कराने के आदेश को निरस्त करने के संबंध में।

संदर्भ : इस विश्वविद्यालय द्वारा जारी संशोधित आदेश क. 19761 दि. 28.12.2018 के कम में।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के संदर्भित संशोधित आदेश क. 19761 दि. 28.12.2018 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता शुल्क की राशि के साथ 18% (9% CGST + 9% SGST) की दर से GST की राशि भी जमा कराने हेतु महाविद्यालयों को सूचित किया गया था।

सक्षम स्तर से प्राप्त आदेशों के कम में विश्वविद्यालय के उपरोक्त संदर्भित संशोधित आदेश को निरस्त किया जाकर समस्त संबंधित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय का सम्बद्धता शुल्क (सत्र 2019–20) बिना GST की राशि के ही जमा करवाया जाना है। विश्वविद्यालय सम्बद्धता शुल्क कलेण्डर के मूल आदेश क. 17936 दि. 04.12.2018 (सत्र 2019–20) की शेष शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे।

उप कुलसचिव

No. : F-8(92)/Affiliation Fee/Academic-II/2019/20238-45 Date : ..7../..1../2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
2. प्रति कुलपति, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
3. वित्त अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
4. अति. निदेशक (प्रशा.), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
6. प्रधानाचार्य, समस्त सम्बद्ध /सम्बद्धता आवेदक महाविद्यालय ....
7. प्रभारी अधिकारी, वि.वि. वेबसाईट को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना की एक प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर आज ही आपलोड कराने का श्रम करावें।
8. कार्यालय रक्षित पत्रावली।

सहायक कुलसचिव
शैक्षणिक अनुभाग–II

Phone : 0141-2791928
0141-2795529
Fax : 0141-2795550

Website : www.ruhsr
Email : ruhsacadmeic@gma

(5)

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033 (Raj.)

No. : F-8(92)/Affiliation Fee/Academic-II/2018/ 19761 Date 28/12/2018

संशोधित आदेश

(सत्र 2019—20 के सम्बद्धता शुल्क के साथ 18% की दर से जी.एस.टी. राशि जमा कराने बाबत)

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019—20 की सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता शुल्क जमा कराने हेतु समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया जा चुका है। इस क्रम में जारी सम्बद्धता कलेण्डर 2019—20 के आंशिक संशोधन में समस्त राजकीय व निजी महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि **सत्र 2019—20 हेतु जमा करायी जाने वाली/जमा कराई गई सम्बद्धता शुल्क की राशि के साथ 18% (9% CGST + 9% SGST) की दर से जी.एस.टी. की राशि भी आवश्यक रूप से जमा कराई जानी है।** अतः समस्त महाविद्यालय सम्बद्धता शुल्क के साथ 18% की दर से जी.एस.टी. राशि जमा कराई जानी सुनिश्चित करें।

सत्र 2019—20 हेतु बिना विलम्ब शुल्क व पेनल्टी राशि के सम्बद्धता शुल्क जमा कराये जाने की अंतिम तिथि 31.12.2018 है अतः जिन संस्थाओं ने सत्र 2019—20 हेतु सम्बद्धता शुल्क जमा करवा दिया गया है वे **दिनांक 08.01.2019 तक** जी.एस.टी. की राशि भी ऑनलाईन विश्वविद्यालय के बैंक खाते में जमा कराई जानी सुनिश्चित करें।

नोट :—

- 08.01.2019 की तिथि केवल जी.एस.टी. की राशि जमा कराये जाने हेतु निर्धारित की गई है सम्बद्धता शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस आदेश के जारी होने के बाद सम्बद्धता शुल्क जमा कराने वाली संस्थाऐं जी.एस.टी. की राशि सहित ही सम्बद्धता शुल्क जमा करावें।
- जी.एस.टी. राशि ऑनलाईन ही विश्वविद्यालय के उसी बैंक खाते में जमा कराई जानी है जिसमें सम्बद्धता शुल्क जमा कराया गया है। ऑनलाईन ट्रांजेक्शन उपरान्त दिनांक 08.01.2019 से पूर्व विश्वविद्यालय को जी.एस.टी. राशि जमा कराये जाने की सूचना भी प्रत्येक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित की जानी आवश्यक है। (Format Attached for submitting Information)

उपकुलसचिव

No. : F-8(92)/Affiliation Fee/Academic-II/2018/ 19762-70 Date 28/12/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
2. प्रति कुलपति, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
3. वित्त अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
4. अति. निदेशक (प्रशा.), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
6. प्रधानाचार्य, समस्त सम्बद्ध /सम्बद्धता आवेदक महाविद्यालय ....
7. प्रभारी अधिकारी, वि.वि. वेबसाईट को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश की एक प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर आज ही आपलोड कराने का श्रम करावें।
8. कार्यालय रक्षित पत्रावली।

सहायक कुलसचिव
शैक्षणिक अनुभाग—II